हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal) Uttarakhand-246174
(A Central University)
दूरभाष : ...-252143,252167,252170
फैक्स : ...-252174,252247
वेबसाइट : website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक – मान्यता / 5951 ... 5-08-16

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक / सचिव
श्री देवभूमि इन्स्टीटयूट ऑफ एजुकेशन
साइन्स एवं टैक्नालाजी ग्राम मझौन वाया पौंधा प्रेमनगर,
देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 30.07.2016 और संस्थान प्रबन्धन द्वारा समिति को दिये गये 31 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा श्री देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एण्ड टैक्नोलाजी, ग्राम मझौन, वाया पौंधा प्रेमनगर, देहरादून को अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार B.Ed. Batch 2016–17 में 50–50 सीट की दो यूनिट (100 सीट) एवं M.Ed Batch 2016–17 में एक यूनिट ... के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है कि–

1. बी0एड0 सत्र 2016–17 प्रारम्भ होने से पूर्व अपूरित शेष फैकल्टी की नियुक्ति ...
2. सत्र 2016–17 प्रारम्भ होने से पूर्व एन0सी0टी0ई0 के नियमानुसार नये पाठ्यक्रम की ... पुस्तकें क्रय करनी होंगी।

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे–

1. संस्थान को एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. संस्थान द्वारा एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 ... छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना ...
3. संस्थान द्वारा शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे ... करना होगा।
4. संस्थान को कुलपति महोदय एवं स्टेटयूटरी बाडी द्वारा जारी आदेश / निर्देशों का ... करना होगा।
5. संस्थान दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
6. संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:–

1. एक माह के अर्न्तगत फैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्न्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपि:– 1. उपकुलसचिव परीक्षा।
2. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति सचिवालय को सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

डा0(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता